डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

(9)

मु0 उनवान करतारसिंह बनाम निरजंनसिंह वगै0

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 17/2015

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दई व .... डिकरी दी जाती है कि

वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 17.03.2025 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 17/3/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दालय	रुपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Scanned with OKEN Scanner

1. करतारसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी गगवानातहसील भरतपुर।
2. थानसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला
3. भरतसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला
4. शिवराम पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भ
5. शैलेन्द्र पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरत
6. सुजान पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपु
7. सावित्री वेवा नाहरसिंह जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर

— वादीगण

बनाम

1. निरजंनसिंह पुत्र रनधीर जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. महेशचंद पुत्र रनधीर जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. कुसुम वेवा राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. संजयकुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. हरेन्द्रकुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. विष्णु कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर। भरतपुर।
7. तहसीलदार नदबई
8. सब रजिस्ट्रार नदबई
9. आई.डी.बी.आई. शाखा कुम्हेर गेट भरतपुर

— प्रतिवादी

17/3/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायाल
प्रकरण सं. 17/2
जी.सी.एम.एस.
किस्म दावा
निर्णय दिनां
1.

(10)

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 17/2015
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00045
किस्म दावा 88.89 .53,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 17.03.2025

1. करतारसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. थानसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. भरतसिंह पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. शिवराम पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. शैलेन्द्र पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. सुजान पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. सावित्री वेवा नाहरसिंह जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. निरजंनसिंह पुत्र रनधीर जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. महेशचंद पुत्र रनधीर जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. कुसुम वेवा राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।

Scanned with OKEN Scanner

4. संजयकुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. हरेन्द्रकुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. विष्णु कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवानातहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. तहसीलदार नदबई
8. सब रजिस्ट्रार नदबई
9. आई.डी.बी.आई. शाखा कुम्हेर गेट भरतपुर — प्रतिवादी

उपस्थित श्री फूलसिंह सिनसिनवार एड.(वादी की ओर से)

श्री जगवीरसिंह एड.(प्रतिवादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण में ऐसा कोई सख्त नही है कि वाद के लिए अयोग्य हो सभी पक्षकार वाद पत्र लडने योग्य है।
2. विवादित आराजी खाता स. 107 के हाल बन्दोबस्ती हाल आराजी ख.न. 122 रकवा 1.58 हैक्ट. व 583 रकबा 0.34 व 584 रकबा 0.69, 589 रकबा 1.00, 590 रकबा 0.01, 609 रकबा 0.63 किता 6 कुल रकबा 4.25 है0 वाके ग्राम गगवाना तहसील नदबई में स्थित है। जो कि साबिक खसरा नंबर 61 व 451 व 452, 457, 467 से निर्मित किए हैं जिसके संवत 2028 से पूर्व के साबिक खसरा नंबर क्रमशः 60, 53 व 52 व 435, 436, 446 थे।
3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज की संतान हैं। उपरोक्त आराजी भी दोनों पक्षों की पैतृक संपत्ति है। सजरा वादपत्र पर अंकित है।
4. यह है कि उपरोक्त आराजी वादपत्र मद संख्या 2 वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। जो उनके पूर्वज रामशरण बाबा से प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण के पिता घर में होशियार व चालाक किस्म के व्यक्ति थे। उसने पिता रामशरण के जीवनकाल में ही अपने अकेले नाम काश्त गैर मौरोसी दर्ज करा ली तथा संवत 2021 में खातेदारी की प्रविष्टियां अपने अकेले के नाम दर्ज करा ली जबकि पैतृक संपत्ति में वादीगण के पिता व वादीगण का

Scanned with OKEN Scanner

वाहिस्सा बराबर का अधिकार खातेदारी प्राप्त होते हैं क्योंकि पैतृक संपत्ति में अकेले एक पुत्र को कब्जे के आधार पर पैतृक संपत्ति में कोई खातेदारी अधिकार हासिल नहीं होते हैं। तथा सभी पुत्रों का पैतृक संपत्ति में होने के नाते वाहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकार हासिल होते हैं लिहाजा इसी बिनाय पर अकेले प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात व मुकाबले वादीगण बातिल व बेअसर है। अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ हिस्सा 1/2, 1/2 के अनुसार मुताबिक हिस्सा वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अकेले प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं।

5. यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात वाके गगवाना पर वाहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर उन्होंने वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने तथा रहनवयमुन्तकिल करने की धमकी भी दी गई। उक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं। अंत में वादीगण द्वारा प्रार्थना की गई कि विवादित आराजीयात वाके गगवाना पर वादीगण संख्या 1 से 3 को हिस्सा 1/2 में से 3/8 हिस्सा पर वाहिस्सा बराबर व वादीगण संख्या 4 से 7 को हिस्सा 1/8 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के शेष हिस्सा 1/2 में से प्रति. सं. 1 व 2 को 1/3 वाहिस्सा बराबर तथा प्रति. संख्या 3 से 6 को हिस्सा 1/6 वाहिस्सा बराबर के खातेदार दर्ज किया जावे तथा अकेले प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजातों को कलमजन किया जावे।

6. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री जगवीर सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो निम्नानुसार है–

1. यह कि मद संख्या 1 स्वीकार है।

17/2/25

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि आराजी मुतनाजा वाके ग्राम गगवाना तहसील नदबई होना स्वीकार है। रिकॉर्ड में अंकित खसरा नंबरान में मिन नंबरों को छोड दिया है।
3. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज की संतान होना स्वीकार है और सजरा गलत तरीके से अंकित किया गया है जिसमें संपूर्ण वारिसान का नाम अंकित नहीं किया गया है।
4. यह कि दावा की मद संख्या 4 स्वीकार नहीं है क्योंकि उक्त आराजी से वादीगण का कभी भी कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। और प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादी द्वारा मात्र प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की वजह से न्यायालय में वाद पेश किया है। और उक्त आराजी में वादीगण किसी भी प्रकार से हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह है कि वादीगण का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा क्योंकि प्रतिवादी का उक्त आराजी पर रिकॉर्ड अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जब प्रतिवादी व वादी में 50 साल से कोई तनाजा नहीं रहा है तो धमकी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः दावा काबिल खारिजी के है।

7. वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।
   1. आया विवादित आराजी वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है जो कि उनके बाबा रामशरण से प्राप्त आराजी है। – जिम्मेवादी
   2. आया वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ 1/2, 1/2 हिस्सा के अनुसार मुताबिक हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं एवं प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं। – जिम्मेवादी
   3. आया वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।– जिम्मेवादी
   4. आया वादीगण द्वारा सजरा गलत तरीके से अंकित किया गया है जिसमें संपूर्ण वारिसान का नाम अंकित नहीं किया गया है– जिम्मेप्रतिवादी

17/3/25

Scanned with OKEN Scanner

5\. आया वादीगण का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है और न ही कब्जाकाश्त रहा है। लिहाजा वादपत्र काबिल खारिजी जिम्मेप्रतिवादी के है।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2067–70 वाके ग्राम गगवाना प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 प्रदर्श 2, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 वाके ग्राम गगवाना प्रदर्श 3, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके गगवाना प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2021–2024 वाके ग्राम गगवाना प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श 6, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009–12 वाके ग्राम गगवाना प्रदर्श 7 लगायत 10 पेश किए गए। तथा मौखिक बयान के रूप में वादी करतार पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी गगवाना, पूरन पुत्र रामप्रसाद जाति जाटव निवासी गगवाना पेश किए गए जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009–12 वाके ग्राम गगवाना प्रदर्श डी 1 लगायत 4 पेश किए गए। मौखिक बयान के रूप में कुसुम पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवाना, हरेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवाना, विष्णु कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी गगवाना, निरजंन पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी गगवाना, महेश पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी गगवाना पेश किए गए जिनसे जिरह वकील वादी द्वारा की गई।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार विवेचन इस प्रकार है।

1\. आया विवादित आराजी वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है जो कि उनके बाबा रामशरण से प्राप्त आराजी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2067–70 वाके ग्राम गगवाना प्रदर्श 1 पर खनं.न. 122, 583, 584, 589, 590, 609 किता 6 रकवा 4.25 हैक्ट. पर निरजंनसिंह, महेशचंद पिसरान रनधीरसिंह हिस्सा 2/3, कूसुम वोवा

13/2/25

राजेन्द्रसिंह हि. 5/72, संजय कुमार, हरेन्द्र कुमार, विष्णु कुमार पि. राजेन्द्रसिंह हि. 19/72 कौम जाट सा. देह अंकित हो रही है यानि कि प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 6 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान के साबिक ख.न. 61, 451, 452, 457, 467, संवत 2060 से बने है। इनके संवत 2028 से पूर्व ख.न. क्रमशः 60, 53, 52, 435, 436 व 445 से बने है। जो प्रदर्श 2 व 4 से साबित होता है। नकल जमाबन्दी संवत आधार वर्ष 2028 भूप्रबंधक विभाग प्रदर्श 3 में ख.न. 61, 451, 452, 457, 467, पर रनवीर बल्द रामसरन कौम जाट सा. देह की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। यानि कि प्रतिवदी स. 1 व 2 के पिता रनवीर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हो रही है। एवं नकल जमाबंन्दी संवत 2021–24 वाके ग्राम गगवाना प्रदर्श–5 पर उक्त खसरा नम्बरान पर रनवीर पुत्र रामशरन कौ जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हो रही है। यानि कि प्रतिवादी स. 1 व 2 के पिता के नाम खातेदारी रही है। उवं नकल जमाबंन्दी संवत 2012 वाके ग्राम गगवाना पपर खाता स. 305 के खसरा नम्बरान पर रनवीर बल्द रामशरन कौम जाट सा.देह गैर मौरोसी साल 2 दर्ज रिकॉर्ड का अंकन हो रहा है। यानि प्रतिवादी स. 1 व 2 के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। तथा नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009–12 प्रदर्श 7 लगायत 10 वाके गगवाना पर ख.न. 52, 53, 60, 435, 436 पर रामशरन वगै.कौम जाट सा.देह गैर मौरोसी 2 साल का अंकन हो रहा है। उक्त विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज यानि रामशरन की आराजी रही है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा में पूर्वज की संतान होना भी स्वीकार किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादीगण के पिता रनवीर वल्द रामशरन के नाम विवादित आराजीयात संवत 2012 से दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। उक्त रिकॉर्ड अनुसार आराजी पैतृक साबित होती है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ 1/2, 1/2 हिस्सा के अनुसार मुताबिक हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं। –

[illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत
[illegible] प्रदर्श 11 खतौनी 100 में विवादित आराजी पर [illegible]
[illegible] प्रदर्श [illegible] पर आराजी प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय पुत्र
[illegible] गैर मौरूसी [illegible] 22 दर्ज [illegible]
[illegible] प्रतिवादी के नाम [illegible]
[illegible] 2028 प्रदर्श [illegible] पर [illegible] 2028 में [illegible]
[illegible] है। जो स्वर्गीय पुत्र [illegible] जाति [illegible]
[illegible] दर्ज [illegible] है। तथा वादी द्वारा [illegible] में प्रदर्श 5
[illegible] संवत 2024-24 में स्वर्गीय पुत्र [illegible] के नाम है। [illegible]
[illegible] के [illegible] प्रतिवादी के पक्ष में साबित होता है
[illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 6 [illegible] संवत 2012-15 में भी
प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय पुत्र [illegible] गैर मौरूसी [illegible] 2
[illegible] दर्ज [illegible] है। संवत 2012 में [illegible]
अधिनियम [illegible] पर [illegible] द्वारा पूर्व के
[illegible] गैर मौरूसी [illegible] में [illegible] अधिकार दिए गए
हैं [illegible] प्रकार [illegible] अधिनियम [illegible] के तहत
प्रतिवादीगण के पिता को [illegible] दर्ज [illegible] है। वादी द्वारा
[illegible] के [illegible] और आधार को मानते हुए [illegible] संवत
[illegible] प्रदर्श 7 [illegible] 10 के आधार पर [illegible] गई है।
[illegible] 22, 23, 45, 46, 46 व
[illegible] संवत 2009-12 पर [illegible] है। [illegible] संवत
[illegible] आराजी पर [illegible] नहीं
[illegible] संवत 2009-11 की [illegible] प्रदर्श 6 जो वादी साबित हुआ है।
[illegible] के आधार पर प्रतिवादीगण को [illegible] घोषित
किया गया है। [illegible] अनुसार संवत 2011 के पूर्व 2 साल प्रदर्श 6
[illegible] संवत 2011 में [illegible] साबित है। संवत
[illegible] हुआ चला आ रहा है।
[illegible] संवत 2012 में भी [illegible] का कब्जा
[illegible] विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के

नाम आई तथा आज तक बदस्तूर चली आ रही है। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जेकाश्त के संबंध में किसी प्रकार की खसरा गिरदावरी तथा मौका रिपोर्ट पेश नहीं की गई जिससे साबित होता हो कि उक्त विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त रहा हो। इस प्रकार उक्त खसरा गिरदावरी संवत 2009–12 व संवत 2012 में रनधीर गैर मौरोसी काश्त रही थी। संवत 2012 से प्रतिवादीगण के पिता एवं वर्तमान में विवादित आराजीयात दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। इस प्रकार उक्त प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादीगण के साथ वाहिस्सा बराबर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

3. आया वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। तनकी संख्या 2 के निर्णयानुसार स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम संवत 2012 से लेकर आज तक बदस्तूर पूर्वज रनधीर व उसके बाद प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। एवं तनकी संख्या 2 के निर्णयानुसार वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वर्तमान में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के हक में साबित है। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

4. आया वादीगण द्वारा सजरा गलत तरीके से अंकित किया गया है जिसमें संपूर्ण वारिसान का नाम अंकित नहीं किया गया है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई सजरा या वंशावली पेश नहीं की जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादीगण के संपूर्ण वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया हो। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

5. आया वादीगण का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है और न ही कब्जाकाश्त रहा है। लिहाजा वादपत्र काबिल खारिजी के है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था।

17/3/25

वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम संवत 2012 से बदस्तूर चली आ रही है। उक्त विवादित आराजी से वादी का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है और न ही किसी प्रकार का कब्जाकाश्त रहा है। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निणर्य विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात हाल रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रही है तथा संवत 2012 में प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। एवं संवत 2028 प्रदर्श 3 भूप्रबंध विभाग में प्रतिवादी के पिता रनधीर पुत्र रामशरन के नाम खातेदारी अंकित है। तथा संवत 2021–24 में भी प्रतिवादीगण के पिता के नाम रही है। एवं नकल जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श 6 जिसमें रनधीर पुत्र रामशरन जाट गैर मौरोसी खुदकाश्त साल 2 व संवत 2012 आरटीए 1955 व खुदकाश्त का मिलान करने पर सरकार द्वारा पूर्व के इन्द्राजात गैर मौरोसी खातेदारी में दर्शित कर खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण के पिता के नाम दिए गए जो कि प्रतिवादी के पिता रनधीर पुत्र रामशरन के नाम आरटीए 1955 के तहत खातेंदारी दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। एवं उक्त विवादित आराजीयात पर वादीगण का कमी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अतः वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार सिद्ध नहीं होता है लिहाजा वादी का वादपत्र काबिल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.3.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

17/3/25

गंगाधर मीना (RAS)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर नंदबई
दौसा जिला दौसा